उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-14/2019/एन.जी.टी.-258/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016
लखनऊ: दिनांक: 14 जून, 2019

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा हिण्डन, काली एवं कृष्णा नदी के संरक्षण, उद्धार, प्रदूषण हेतु उत्तरदायी दोषी व्यक्तियों/संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही तथा पीड़ितों के पुर्नवास सम्बन्धी दायित्वों के निर्वहन हेतु ओ0ए0 सं0-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 द्वारा निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

i. मा0 न्यायमूर्ति श्री एस0यू0 खान -अध्यक्ष
ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामितवरिष्ठ वैज्ञानिक -सदस्य
iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक/अभियन्ता -सदस्य

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 08.08.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु सम्बद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण, उद्धार एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2018 द्वारा निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

i. मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह -अध्यक्ष
ii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित वरिष्ठ प्रतिनिधि -सदस्य
iii. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित वरिष्ठ प्रतिनिधि -सदस्य
iv. डा0 ए0बी0 अकोलकर, पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

v. उ0प्र0 जल निगम द्वारा नामित प्रतिनिधि -सदस्य

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 23.08.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा नदी जल संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु योजनाओं के प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन तथा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी।

3- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा यमुना नदी के संरक्षण एवं उद्धार हेतु ओ0ए0सं0-6/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं 300/2013 मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 द्वारा दो सदस्यीय निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

i. सुश्री शैलजा चन्द्रा, पूर्व मुख्य सचिव, दिल्ली -सदस्य

ii. श्री बी0एस0 साजवान, पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं -सदस्य
पूर्व विशेषज्ञ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.07.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

4- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-673/2018News Item published in “The Hindu” authored by Shri Jacob Koshy Titled “More river stretches are now critically polluted: CPCBमें पारित आदेश दिनांक20.09.2018 द्वाराRiver Rejuvenation Committee (RRC)गठित की गई। मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि RRC द्वारा नदियों के क्रिटिकली प्रदूषित नदीखण्डों हेतु कार्ययोजना बनाई जाएगी तथा उक्त कार्ययोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जाएगा। मा0 अधिकरण द्वारा आदेश में स्पष्ट किया गया कि RRC का संचालन प्रमुख सचिव, पर्यावरण के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में होगा।

पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-एन0जी0टी0-4140/55-पर्या-2-2017-49(पर्या)/2017 दिंनाक 14.12.2018 द्वारा River Rejuvenation Committee (RRC) निम्नवत् गठित की गई है:-

i. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय -सदस्य

ii. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन -सदस्य

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iii. निदेशक, उद्योग विभाग, उ0प्र0 -सदस्य

iv. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य

5- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 मे पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में प्रदेश के प्रमुख वायु प्रदूषित शहरों एवं क्रिटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों में व्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश की नदियों में विशेषकर प्राथमिकता वाले नदी खण्डों के प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) की स्थापना/संचालन से संबंधित कार्ययोजनाओं एवं नियमावलियों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-673/2018News Item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCBमें पारित आदेश दिनांक 20.09.2018, ओ0ए0 सं0-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण, उद्धार एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2018 तथा यमुना नदी के संरक्षण एवं उद्धार हेतु ओ0ए0 सं0-6/2012 एवं 300/2013 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 तथा उक्त प्रकरणों में मा0 अधिकरण द्वारा पारित अन्य आदेशों के अनुपालन में प्रदेश में नदियो की जल गुणता के संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्रियान्वित कार्ययोजनाओं का अनुश्रवण करते हुए मा0 अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 मे मा0 अधिकरण के स्तर से गठित विभिन्न समितियों के अग्रेत्तर कार्य किये जाने के संबंध में दिनांक 26.04.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं-

" 26. Vide order dated 05.03.2019, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by 30.04.2019 and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules 5 and 14 of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated 22.12.2016 [Para 43(9)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitory".

7- उपरोक्त प्रस्तर-6 में वर्णित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत् ओ0ए0 सं0-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018, ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2018, ओ0ए0 सं0-6/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं 300/2013 मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 द्वारा गठित उक्त तीन अनुश्रवण समितियों को समाप्त करते हुए प्रदेश में समस्त प्रमुख नदियों (गंगा नदी के अतिरिक्त) में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण, जल गुणता संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु संचालित परियोजनाओं की उपयुक्तता एवं प्रगति के आंकलन एवं उपरोक्त तीनों अनुश्रवण समितियों के समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु मा0 अधिकरण के पूर्व आदेश दिनांक 20.09.2018 के अनुपालन में पर्यावरण अनुभाग उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-एन0जी0टी0-4140/55-पर्या-2-2017- 49(पर्या)/2017 दिंनाक 14.12.2018 द्वारा गठित River Rejuvenation Committee (RRC) निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है-

i.	कृषि उत्पादन आयुक्त	-अध्यक्ष
ii.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं	-सदस्य

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जलवायु परिवर्तन विभाग

iii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग -सदस्य

iv. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग -सदस्य

v. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग -सदस्य

vi. निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन -सदस्य

vii. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 -सदस्य

viii. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालयनार्थ जोन, लखनऊ -सदस्य

ix. निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली -सदस्य

x. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम -सदस्य

xi. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ -सदस्य

xii. डॉ0 ए0ए0 काजमी, प्रोफेसर, (आई0आई0टी0, रूड़की) -सदस्य

xiii. समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता नामित औद्योगिक संगठन, विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि -सदस्य

xiv. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -नोडल ऑफिसर

8- उपरोक्त बिन्दु सं0-7 के अन्तर्गत River Rejuvenation Committee के कार्य दायित्व एवं Terms of References निम्नानुसार होंगें-

i. मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-673/2018 News Item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB में पारित आदेश तथा ओ0ए0 संख्या-66/2015, ओ0ए0 सं0-116/2014, ओ0ए0 सं0-06/2012 एवं ओ0ए0 सं0-300/2013 में मा0 अधिकरण द्वारा नदियों में प्रदूषण नियंत्रण एवं नदी जल संरक्षण हेतु पारित अन्य आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा।

ii. नदियों के क्षेत्र में स्थापित सीवेज उपचार संयंत्रों एवं सी0ई0टी0पी0 का संचालन मानकों के अनुरूप किये जाने की स्थिति, कार्यरत सीवेज उपचार संयंत्रों एवं सी0ई0टी0पी0 को अपग्रेड किये जाने संबंधी परियोजना की प्रगति तथा प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना संबंधी प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा।

iii. नदियों के क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के चिन्हिकरण एवं अधिसूचित किये जाने की समीक्षा।

iv. नदियों में औद्योगिक उत्प्रवाह से प्रदूषण के नियंत्रण की समीक्षा ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

v. नदियों के क्षेत्र में स्थानीय निकायों में नियमानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति की समीक्षा ।

vi. नदियों के विभिन्न नदीखण्डों में ई-फ्लो को मेन्टेन किये जाने तथा नदी में अविरल जल प्रवाह सुनिश्चित किये जाने की स्थिति।

vii. नदियों की जलगुणवत्ता के अनुश्रवण की समीक्षा तथा नदी जल गुणता के संरक्षण हेतु कार्यवाही की समीक्षा।

viii. नदियों की जल गुणता से सम्बन्धित अन्य विषय-बिन्दु।

ix. River Rejuvenation Committee द्वारा नदियों के क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति के आंकलन एवं संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु यथा आवश्यकता उपसमितियां गठित कर स्थलीय भ्रमण कराकर स्थिति का आंकलन करायेगी।

x. River Rejuvenation Committee द्वारा उपरोक्त अनुश्रवण के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किए जाने हेतु त्रैमासिक अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट का आलेख्य तैयार कर उसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-14/2019/एन.जी.टी.-258/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री एस0यू0 खान), ओ0ए0 सं0-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में गठित अनुश्रवण समिति।
3. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह), ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में गठित अनुश्रवण समिति।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. सुश्री शैलजा चन्द्रा, पूर्व मुख्य सचिव, दिल्ली एवं सदस्य, अनुश्रवण समिति (ओ0ए0 सं0-6/2012 एवं 300/2013 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य)।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
7. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई/कृषि/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/पंचायती राज/आवास एवं शहरी नियोजन/गृह/भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
11. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0।
14. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।
15. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
16. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, नार्थ जोन, लखनऊ।
17. परियोजना निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
18. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
19. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
20. डॉ0 ए0ए0 काजमी, प्रोफेसर, (आई0आई0टी0, रूड़की)।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।